





# भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-60/2018-19

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
07.07.2018 13-7-18	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 20-8-18 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 20-8-18 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">                       भूमि सुधार उपसमाहर्ता                      पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।                 </p>	
20.08.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 25-9-18 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 25-9-18 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">                       भूमि सुधार उपसमाहर्ता                      पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।                 </p>	
25.09.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक-1012 दिनांक-22.09.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 23.09.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक श्री पुरुषोत्तम महतो, पिता-स्व० रामचरण महतो, जाति- कुर्मी (अ.पि.वर्ग.), ग्राम-आसनतलिया, पो०+थाना चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए" / "बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-आसनतलिया, थाना नं०-88, खाता नं० 295, प्लॉट नं० 2153, रकवा:-0.08 ए० क्रेता श्रीमति बिना महतो, पति-श्री अनुप कुमार महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग.), ग्राम-आसनतलिया, पो०- चक्रधरपुर, थाना-चक्रधरपुर, जिला- प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इशतेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक श्रीमति बिना महतो, पति-श्री अनुप कुमार महतो, जाति- कुर्मी(अ.पि.वर्ग.), ग्राम-आसनतलिया, पो०+थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इशतहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>विक्रेता एवं क्रेता थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम के निवासी हैं। विक्रेता का जाति कुर्मी(अ.पि.वर्ग.), एवं क्रेता का जाति कुर्मी(अ.पि.वर्ग.), समुदाय के सदस्य हैं।</p> <p>विक्रेता उक्त वर्णित भूमि चिकित्सा हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकवा 3.72 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इशतेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्रीमति बिना महतो पति-श्री अनुप कुमार महतो, जाति- कुर्मी(अ.पि.वर्ग.), ग्राम- आसनतलिया, पो०- चक्रधरपुर, थाना-चक्रधरपुर, जिला- प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए" / "बी" के अन्तर्गत दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध कराये।</p> <p>लेखापित                        भूमि सुधार उपसमाहर्ता                      पोड़ाहाट, चक्रधरपुर</p> <p style="text-align: right;">                       भूमि सुधार उपसमाहर्ता                      पोड़ाहाट, चक्रधरपुर                 </p>	